

महिला और बाल विकास मंत्रालय

मांग संख्या 100

महिला और बाल विकास मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	23179.60	0.23	23179.83	30507.09	0.01	30507.10	21503.31	5.00	21508.31	24930.00	5.00	24935.00
वसूलियां	-15.16	...	-15.16	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00
प्राप्तियां
निवल	23164.44	0.23	23164.67	30007.09	0.01	30007.10	21003.31	5.00	21008.31	24430.00	5.00	24435.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	46.65	...	46.65	53.80	...	53.80	51.63	...	51.63	60.80	...	60.80
2. खाद्य एवं पोषण बोर्ड	13.15	...	13.15	15.32	...	15.32	14.72	...	14.72	17.00	...	17.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	59.80	...	59.80	69.12	...	69.12	66.35	...	66.35	77.80	...	77.80
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
3. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड)	55.48	...	55.48	70.00	...	70.00	53.80	...	53.80	60.00	...	60.00
4. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)	8.94	...	8.94	17.00	...	17.00	8.10	...	8.10	10.00	...	10.00
5. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)	15.86	...	15.86	18.00	...	18.00	17.00	...	17.00	18.00	...	18.00
6. राष्ट्रीय महिला आयोग	23.37	...	23.37	26.00	...	26.00	21.88	...	21.88	27.00	...	27.00
7. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड	74.89	...	74.89	80.00	...	80.00	69.67	...	69.67	73.00	...	73.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	178.54	...	178.54	211.00	...	211.00	170.45	...	170.45	188.00	...	188.00
अन्य												
8. राष्ट्रीय पुरस्कार	1.53	...	1.53	1.00	...	1.00	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60
9. यूनिसेफ के लिए अंशदान	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60
जोड़-अन्य	7.13	...	7.13	6.60	...	6.60	7.20	...	7.20	7.20	...	7.20
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	185.67	...	185.67	217.60	...	217.60	177.65	...	177.65	195.20	...	195.20
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अम्ब्रेला आई. सी. डी. एस.												
10. आंगनवाड़ी सेवाएं (पूर्व में मुख्य आईसीडीएस)	16893.54	...	16893.54	20532.38	...	20532.38	17252.31	...	17252.31
11. राष्ट्रीय पोषण मिशन (आईएसएसएनपी सहित)												
11.01 कार्यक्रम घटक	1879.86	0.23	1880.09	3699.99	0.01	3700.00	595.00	5.00	600.00
12. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	2238.97	...	2238.97	2500.00	...	2500.00	1300.00	...	1300.00
13. किशोरियों के लिए स्कीम	105.46	...	105.46	250.00	...	250.00	50.00	...	50.00
14. राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	47.77	...	47.77	75.00	...	75.00	15.00	...	15.00
15. बाल संरक्षण सेवाएं	865.83	...	865.83	1500.00	...	1500.00	821.00	...	821.00
जोड़-अम्ब्रेला आई. सी. डी. एस.	22031.43	0.23	22031.66	28557.37	0.01	28557.38	20033.31	5.00	20038.31
महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन												
16. महिला शक्ति केंद्र	23.97	...	23.97	100.00	...	100.00	15.00	...	15.00
17. स्वाधार गृह	25.48	...	25.48	50.00	...	50.00	25.00	...	25.00
18. उज्वला	9.34	...	9.34	30.00	...	30.00	8.00	...	8.00
19. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल	32.55	...	32.55	150.00	...	150.00	20.00	...	20.00
20. सूचना एवं जन संचार (मीडिया)	72.68	...	72.68	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00
21. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	85.78	...	85.78	220.00	...	220.00	100.00	...	100.00
22. महिला हेल्पलाइन	11.34	...	11.34	30.00	...	30.00	24.96	...	24.96
23. वन स्टॉप सेंटर	137.59	...	137.59	385.00	...	385.00	170.00	...	170.00
24. निर्भया कोष से वित्त पोषित अन्य योजनाएं	0.07	...	0.07	80.00	...	80.00	303.04	...	303.04	48.00	...	48.00
25. निर्भया कोष को अंतरण	499.93	...	499.93	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
26. निर्भया कोष से पूरी की गयी राशि	-1.82	...	-1.82	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00
27. महिला-उन्मुखी बजटन एवं अनुसंधान, प्रकाशन तथा मॉनिटरिंग	2.83	...	2.83	8.00	...	8.00	3.00	...	3.00
28. महिला पुलिस स्वयं सेवक	1.14	...	1.14	5.00	...	5.00	2.00	...	2.00
29. विधवाओं के लिए आवास	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
जोड़-महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन	900.88	...	900.88	1163.00	...	1163.00	726.00	...	726.00	48.00	...	48.00
30. वास्तविक वसूली	-13.34	...	-13.34
31. सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (किशोरियों, राष्ट्रीय क्रेच स्कीम के लिए, अम्ब्रेला आईसीडीएस - आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान स्कीम)	20100.00	5.00	20105.00
32. मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवा और बाल कल्याण सेवा)	900.00	...	900.00
33. मिशन शक्ति (महिला संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन)
33.01 सम्बल (एकछत्र केन्द्र, महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला हेल्पलाइन/स्वाधार/उज्वला/विधवागृह आदि)	587.00	...	587.00
33.02 सामर्थ्य (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्रेच, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना/ महिलोन्मुखी/अनुसंधान/कौशल/प्रशिक्षण आदि)	2522.00	...	2522.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<i>जोड़- मिशन शक्ति (महिला संरक्षण और सशक्तिकरण मिशन)</i>	3109.00	...	3109.00
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	22918.97	0.23	22919.20	29720.37	0.01	29720.38	20759.31	5.00	20764.31	24157.00	5.00	24162.00
कुल जोड़	23164.44	0.23	23164.67	30007.09	0.01	30007.10	21003.31	5.00	21008.31	24430.00	5.00	24435.00
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3421.45	...	3421.45	3967.36	...	3967.36	2340.45	...	2340.45	3493.16	...	3493.16
2. पोषाहार	13.15	...	13.15	15.32	...	15.32	14.72	...	14.72	17.00	...	17.00
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	45.48	...	45.48	53.80	...	53.80	51.63	...	51.63	60.80	...	60.80
4. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	0.23	0.23	...	0.01	0.01	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	3480.08	0.23	3480.31	4036.48	0.01	4036.49	2406.80	5.00	2411.80	3570.96	5.00	3575.96
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	2972.00	...	2972.00	2078.81	...	2078.81	2417.00	...	2417.00
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	19524.17	...	19524.17	22748.98	...	22748.98	15822.15	...	15822.15	17658.22	...	17658.22
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	160.19	...	160.19	249.63	...	249.63	695.55	...	695.55	783.82	...	783.82
जोड़-अन्य	19684.36	...	19684.36	25970.61	...	25970.61	18596.51	...	18596.51	20859.04	...	20859.04
कुल जोड़	23164.44	0.23	23164.67	30007.09	0.01	30007.10	21003.31	5.00	21008.31	24430.00	5.00	24435.00

1. **सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए प्रावधान है। इसमें मंत्रालय में ई-गवर्नेंस की गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की खरीद, हार्ड-वेयर एवं सॉफ्ट-वेयर की खरीद, प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता भी शामिल हैं।

2. **खाद्य एवं पोषण बोर्ड:** खाद्य एवं पोषण बोर्ड (एफएनबी) मंत्रालय के बाल विकास ब्यूरो के अधीन तकनीकी सहायता प्रकोष्ठ है। मंत्रालय एफएनबी पोषण से संबंधित नीतिगत मुद्दों के लिए जिम्मेदार है। यह व्यापक श्रेणी की पोषण शिक्षा एवं विस्तार सेवाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पोषण शिक्षा एवं जागरूकता के लिए इनपुट प्रदान करने का भी प्रमुख कार्य करता है।

3. **राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड):** निपसिड जन सहयोग एवं बाल विकास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन संचालित करता है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों का आयोजन करता है, सूचना सेवाएं प्रदान करता है और नई दिल्ली में अपने मुख्यालय तथा बेंगलूर, गुवाहाटी, इंदौर एवं लखनऊ में अपने चार क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परामर्श की आवश्यकता भी पूरी करता है।

4. **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा):** दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का केंद्रीय सांविधिक निकाय है। यह भारतीय बच्चों के दत्तक-ग्रहण के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है और इसको देश में और अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण को मॉनिटर और विनियमित करने की जिम्मेदारी दी गई है। कारा प्राथमिक रूप से अपनी संबद्ध/मान्यता प्राप्त दत्तक-ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ,परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के दत्तक-ग्रहण से संबंधित कार्य करता है। किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम,2015 की धारा 68 (ग) के तहत यथा अधिदेशित 'केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण'(कारा) द्वारा तैयार किए गए दत्तक-

ग्रहण विनियमन,2017 04 जनवरी 2017 को अधिसूचित किये गए हैं। दत्तक-ग्रहण विनियमन, 2017 ने दत्तक-ग्रहण दिशानिर्देश, 2015 को प्रतिस्थापित किया है।

5. **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर):** बच्चों की संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की निगरानी तथा बच्चों की उत्तरजीविता, कल्याण और विकास से संबंधित कार्यक्रमों की निगरानी के माध्यम से बच्चों के अधिकारों को बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत आयोग का गठन किया गया।

6. **राष्ट्रीय महिला आयोग:** राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। इसको संविधान एवं अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए गए सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं अन्वेषण करने के लिए अधिदेय किया गया है। यह शिकायतों की जांच पड़ताल करता है तथा महिलाओं के अधिकारों आदि के अपवचन से संबंधित मामलों का स्व-प्रेरणा से संज्ञान लेता है।

7. **केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड:** सीएसडब्ल्यूबी ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं विकास के लिए kR कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस समय कार्यान्वित किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल हैं- महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा का संघनित पाठ्यक्रम जागरूकता सृजन कार्यक्रम, शिशुगृह स्कीम, परिवार काउंसलिंग केंद्र तथा अल्पाजवाब गृह। ये स्कीमें राज्य समाज कल्याण बोर्डों के सहयोग से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।

8. **राष्ट्रीय पुरस्कार:** इनमें बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रावधान शामिल हैं।
9. **यूनिसेफ के लिए अंशदान:** यह यूनिसेफ को भारत के अंशदान पर व्यय को पूरा करने के लिए है।
10. **आंगनवाड़ी सेवाएं (पूर्व में मुख्य आईसीडीएस):** इस योजना में 6 सेवाओं अर्थात् अनुपूरक पोषण, गैर औपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाओं की व्यवस्था की गई है। सेवा के वैश्वीकरण के पश्चात, सरकार ने देश के प्रत्येक आवासीय स्तर को शामिल करते हुए 7076 परियोजनाओं में 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को अनुमोदन प्रदान किया है। अम्बेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाओं को नवम्बर 2017 में संशोधित कार्य-क्षेत्र, ढांचा तथा लागत हिस्सेदारी अनुपात के साथ युक्तिसंगत बनाया गया था। सरकार ने अक्टूबर 2017 (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी) में अनुपूरक पोषण कार्यक्रम के लागत मानदण्डों को संशोधित भी किया है) और दिनांक 1 अक्टूबर 2018 से आंगनवाड़ी कर्मचारियों तथा सहयोगियों को देय मानदेय को भी बढ़ाया है।

11.01. **कार्यक्रम घटक:** सरकार ने पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) की स्थापना की है जिसकी शुरुआत झुनझुन राजस्थान से दिनांक 8 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई थी। 9046.17 करोड़ (50 प्रतिशत सरकारी स्रोत से और 50 प्रतिशत आईबीआरडी से) के कुल बजट में से, यह कार्यक्रम प्रौद्योगिकी, लक्षित दृष्टिकोण तथा अभिसरण के माध्यम से किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान करवाने वाली माताओं पर ध्यान देते हुए बच्चों में बौनापन, कुपोषण, खून की कमी तथा कम वजन की समस्या को दूर करने के लिए संघर्षरत है अतः इस प्रकार यह समग्र रूप में कुपोषण की समस्या को दूर कर रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रौद्योगिकी, अभिसरण के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन तथा अगले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न निगरानी पैरामीटरों में शामिल किए जाने वाले विशेष लक्ष्य के निर्धारण द्वारा सेवा प्रदायगी और हस्तक्षेप करना है। समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए इस योजना का कार्यान्वयन सभी 36 राज्यों, संघ राज्यों क्षेत्रों तथा जिलों में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम द्वारा 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त होगा। इससे पहले पोषण को देश में इस प्रकार की प्रमुखता कभी नहीं मिली है।

इस अभियान का लक्ष्य सहक्रियात्मक रूख तथा परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाते हुए जीवन चक्र की धारणा के माध्यम से चरणबद्ध रूप से देश में कुपोषण को कम करना है। यह अभियान समयबद्ध सेवा प्रदायगी तथा सुदृढ़ निगरानी तथा हस्तक्षेप ढांचे के लिए तंत्र सुनिश्चित करेगा। इस अभियान का लक्ष्य 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में बौनेपन को वर्ष 2022 तक 38.4 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक कम करना है। बजट अनुमान 2021-22 में पोषण अभियान के लिए 2700 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

12. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:** माननीय प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर, 2016 को देश के नाम अपने संबोधन में पात्र गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यूएण्डएलएम) के लिए मातृत्व लाभ कार्यक्रम के समस्त भारत में कार्यान्वयन की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने आईडी दिनांक 16.06.2017 के माध्यम से सूचित किया कि मातृत्व लाभ कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के नाम से जाना जाएगा। पीएमएमवीवाई एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केंद्र और राज्यों तथा विधानमंडल वाले संघ शासित प्रदेशों के बीच 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के लागत हिस्सेदारी अनुपात में और विधानमंडल रहित संघ शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है।

इस स्कीम का उद्देश्य मजदूरी की क्षति के लिए नकद प्रोत्साहन के रूप में आंशिक मुआवजा प्रदान करना है ताकि महिला पहले बच्चे के प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम ले सके और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में बेहतर स्वास्थ्य आचरण का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस योजना में विशिष्ट शर्तों को पूरा करने वाली गर्भवती और दुग्ध पान कराने वाली महिलाओं को डीबीटी में गर्भवती और दुग्ध पान कराने वाली महिलाओं के बैंक, डाकघर खाते में तीन किस्तों में प्रत्यक्ष रूप से नकद प्रोत्साहन प्रदान करने की परिकल्पना है। पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ के अनुमोदित मानकों के अनुसार शेष नकद राशि प्राप्त करेगी।

13. **किशोरियों के लिए स्कीम:** सरकार 11-14 साल की स्कूल बाह्य किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार और उनके कौशल में वृद्धि के लिए किशोरी स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है। किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के अलावा, इस योजना का उद्देश्य स्कूल बाह्य लड़कियों को पुनः औपचारिक स्कूली शिक्षा या व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना है। इस योजना को देश के सभी जिलों में 01.05.2018 से लागू कर दिया गया है। इस प्रकार, यह योजना 2019-20 में देश भर के सभी जिलों में लागू की जाएगी।

14. **राष्ट्रीय केच स्कीम:** इस स्कीम का उद्देश्य कार्यरत माताओं और परिवार से संबंधित अन्य पात्र माताओं के बच्चों (0-6 वर्ष की आयु वर्ग) को दिन में देखरेख सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के द्वारा पूरक पोषण, स्वास्थ्य देखभाल इनपुट्स जैसे प्रतिरक्षण, पोलियो ड्राप, बुनियादी स्वास्थ्य देखरेख, शयन सुविधाएं, प्रारंभिक सिमुलेशन (03वर्ष से कम), 3-6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा और तात्कालिक औषधियों की व्यवस्था की जाती है।

15. **बाल संरक्षण सेवाएं:** मंत्रालय कानून विरोधी कार्य करने वाले और अन्य संवेदनशील जरूरतमंद बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित परिवेश मुजित करने हेतु इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम को लागू कर रहा है। यह स्कीम वित्त वर्ष 2009-10 से लागू की जा रही है। कार्यक्रम के घटकों में बाल देखरेख संस्थातओं के माध्यम से संस्थागत सेवाएं और प्रायोजन के माध्यम से परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखरेख, धात्री-देखरेख और दत्तक ग्रहण सेवाएं शामिल हैं। यह चाईल्डलाइन और चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम के माध्यम से देखभाल पश्चात कार्यक्रम और 'आपातकालीन आउटरीच सेवा' के लिए भी सहायता प्रदान करता है।

16. **महिला शक्ति केंद्र:** भारत सरकार ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कार्यान्वित करने के लिए महिला शक्ति केंद्र (तत्कालीन राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन योजना का विलय करके) नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। एमएसके के ब्लॉक स्तर पर पहलों के हिस्से के रूप में 115 सबसे पिछड़े जिलों में कॉलेज के छात्र स्वयंसेवकों के माध्यम से समुदायों की भागीदारी की संकल्प ना की गई है। चरणबद्ध तरीके से शामिल करने हेतु 640 जिलों के लिए नए जिला स्तरीय महिला केंद्र (डीएलसीडब्ल्यू) की भी परिकल्पना की गई है।

17. **स्वाधार गृह:** स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों की शिकार महिलाओं के लिए समाधान निकालना है, जिन्हें पुनर्वास के लिए संस्थानिक सहायता की जरूरत है ताकि वे अपने जीवन को गरिमापूर्ण ढंग से जी सकें। इसके अंतर्गत ऐसी महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य की संकल्पना की गई है तथा आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

18. **उज्वला:** यह अनैतिक दुर्व्यापार के रोकथाम के लिए विस्तृत स्कीम है और वाणिज्यिक यौन शोषण के अनैतिक दुर्व्यापार की पीड़ितों का बचाव, पुनर्वास, परिवार से पुनर्मिलन और प्रत्यावर्तन कराना है।

19. **कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल:** यह निवास-स्थल से दूर रह रही कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास-सुविधा सुनिश्चित करती है।

20. **सूचना एवं जन संचार (सीडिया):** सूचना तथा जन संचार (सीडिया) का उद्देश्य नीतियों / कार्यक्रमों / कार्यक्रमलापों, विधायी उपायों तथा मनोदशा में बदलाव लाने के लिए सर्वसाधारण के लिए सुव्यवस्थित उपाय में जागरूकता बढ़ाने / प्रचार करने का है।

21. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:** सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का लक्ष्य कम बाल लिंगानुपात वाले 161 चयनित जिलों में पूरे देश में व्यापक अभियान तथा केंद्रीयकृत हस्तक्षेप और बहुक्षेत्रक कार्रवाई के माध्यम से बाल लिंगानुपात (सीएसआर) में कमी के मुद्दे का

समाधान करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के विस्तार को 405 जिलों में बहुस्तरीय हस्तक्षेप तथा 235 जिलों में सक्रिय जिला मीडिया तथा सहायता की पहुंच जिला आउटरीच के माध्यम से देश के सभी 640 जिलों (अब 2011 की जनगणना के अनुसार) को शामिल करते हुए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य बेटी के जन्म पर खुशियां मनाना और उसे शिक्षित होने में समर्थ बनाना है। इस स्कीम के विशिष्ट लक्ष्य हैं पहले लिंग भेद की दुर्भावना के साथ लिंग के चयन का उन्मूलन करो दूसरे उसका जन्म सुनिश्चित करो तीसरे बेटी की रक्षा करो तथा चौथे बच्ची की शिक्षा और सहभागिता सुनिश्चित करो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। जिला कलेक्टर/उपायुक्त इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी है।

22. **महिला हेल्पलाइन:** मंत्रालय ने महिला हेल्प लाइन सर्वसुलभीकरण की स्कीम 19 फरवरी, 2015 को अनुमोदित कर दी है। यह स्कीम 01.04.2015 से क्रियान्वित की जा रही है। महिला हेल्प लाइन (डबल्यूएचएल) सार्वजनिक तथा निजी दोनों स्थानों पर हिंसा से पीड़ित सभी महिलाओं को 24 घंटे आपात प्रतिक्रिया उपलब्ध कराएगी।

23. **वन स्टॉप सेंटर:** वन स्ट्रेप सेंटर मुख्य रूप से परिवार, समाज, कार्यस्थल सहित निजी तथा सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को मेडिकल सहायता पुलिस सहायता, कानूनी सहायता/मामला प्रबंधन, मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा अस्थायी सहायता सेवाओं सहित समेकित सेवा सीमा की सुलभता सुकर कराना है। यह स्कीम 1 अप्रैल, 2015 से क्रियान्वित की जा रही है।

27. **महिला-उन्मुखी बजटन एवं अनुसन्धान, प्रकाशन तथा मॉनिटरिंग:** लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सरकारी आयोजना एवं बजट के जरिए सतत निवेश सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक जबरदस्त साधन के रूप में महिला उन्मुखी को अपनाया गया। महिला उन्मुखी कार्यक्रम, नीति निर्माण, लक्षित समूहों की जरूरतों के आकलन, मौजूदा नीतियों और दिशानिर्देशों की समीक्षा, संसाधनों के आवंटन, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, जेंडर संवेदनशील प्रतिफल, परिणाम, जेंडर लेखा परीक्षा और प्रभाव निर्धारण, और संसाधनों के पुनः वरीयताक्रमण के विभिन्न स्तरों पर जेंडर परिप्रेक्ष्य बनाए रखता है। मंत्रालय खाद्य और पोषण से संबंधित पहलुओं सहित महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास के क्षेत्रों में शोध, प्रकाशन एवं मॉनिटरिंग की परियोजनाओं को प्रायोजित करता है।

28. **महिला पुलिस स्वयं सेवक:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से राज्यों/संघ राज्य अन्य क्षेत्रों में महिला पुलिस वालेंटियर (एमपीवी) की सेवाएं लेना शुरू कर दिया है जो पुलिस और समाज के मध्य एक लिंक के रूप में कार्य करेंगी और संकट में पड़ी महिलाओं को सुविधा प्रदान करेंगी। करनाल और महेंद्रगढ़ जिलों में इस पहल को अपनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इसके अतिरिक्त, महिला पुलिस वालेंटियर के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। अन्य राज्यों द्वारा भी इस कार्यक्रम का शीघ्र ही अनुपालन किए जाने की संभावना है।

29. **विधवाओं के लिए आवास:** विधवाओं के रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं, कानूनी एवं परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए वृदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित 1000 निवासियों की क्षमता वाला विधवाओं के लिए घर अर्थात् कृष्णा कुटीर का निर्माण किया गया है। इसमें रेम्प, लिफ्टों तथा फिजिओथेरेपी जैसी वृद्ध हितैषी सुविधाएं हैं।

31. **सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (किशोरियों, राष्ट्रीय क्रेच स्कीम के लिए, अम्बेला आईसीडीएस - आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान स्कीम:** इसमें स्कीम क्र०सं० 10, 11, 13 और 14 शामिल है।

32. **मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवा और बाल कल्याण सेवा):** इसमें स्कीम क्र०सं० 15 शामिल है।

33.01. **सम्बल (एकछत्र केन्द्र, महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला हेल्पलाइन/स्वाधार/उज्वला/विधवागृह आदि):** इसमें स्कीम क्र०सं० 17, 18, 19, 22, 23,28 और 29 शामिल हैं।

33.02. **सामर्थ्य (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्रेच, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना/ महिलोन्मुखी /अनुसंधान/कौशल/प्रशिक्षण आदि):** इसमें स्कीम क्र०सं० 12,16,21 और 27 शामिल हैं।